

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या.1085/2018

संबन्धित थाना कांड संख्या -52 वर्ष-2015 थाना-सोनबर्शा राज जिला-सहारसा

=====

पुषंजित बर्मन उर्फ प्रसेनजित बर्मन उर्फ प्रसेनजित वर्मा, पिता- स्वर्गीय सुशीलबर्मन,गाँव/मोहल्ला-गौसानी, थाना कूच विहार, जिला कूच विहार, पश्चिम बंगाल

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

साथ में

आपराधिक अपील (खंडपीठ) सं. 90/2018

संबन्धित थाना कांड संख्या -52 वर्ष-2015 थाना-सोनबर्शा राज जिला-सहारसा

=====

पवन यादव पिता - स्वर्गीय राम बहादुर यादव, गाँव-मनोरी, . . थाना -सोनबरसा राज, जिला-सहारसा ।

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

(आपराधिक अपील (.खंडपीठ) संख्या 1085/2018 में)

अपीलार्थी के लिए

:

श्री अमरनाथ सिंह, अधिवक्ता

श्री कमल किशोर सिंह, अधिवक्ता

श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता
 उत्तरदाता के लिए : श्री अजय मिश्रा, सहा० लो० अभि०
 (आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 90/2018 में)
 अपीलार्थी के लिए : श्री अमरनाथ सिंह, अधिवक्ता
 श्री कमल किशोर सिंह, अधिवक्ता
 श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता
 उत्तरदाता के लिए: : श्री सुजीत कुमार सिंह, सहा० लो० अभि०

=====

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120(बी)/34

संदर्भित मामले:

- कमलाकर पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 6 एससीसी 417 में रिपोर्ट किया गया
- राज कुमार उर्फ सुमन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Cr. अपील संख्या 1471/2023 में दिया गया
- महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य, (2020) 10 एससीसी 108 में रिपोर्ट किया गया

अपील - उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120(B)/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

निर्णय -

- अभियोजन पक्ष ने सूचक (*informant*) को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन जिरह से स्पष्ट है कि वह घटना स्थल पर 10-15 मिनट देरी से पहुँचा, इसलिए उसे प्रत्यक्षदर्शी नहीं माना जा सकता। (पैरा 8)

- हथियार अदालत में प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही उस जांच अधिकारी (IO) से अभियोजन पक्ष ने जिरह की, जिसके समक्ष अभियुक्तों ने स्वीकारोक्ति की थी। (पैरा 8.1)
- यदि अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह (**prejudice**) नहीं हुआ हो, तो जाँच अधिकारी (IO) की गवाही न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होता। लेकिन यदि बचाव पक्ष को पूर्वाग्रह हुआ है, तो यह अभियोजन के लिए घातक सिद्ध होता है। (पैरा 8.3)
- इस मामले में, जाँच अधिकारी की गवाही न होने से बचाव पक्ष को पूर्वाग्रह पहुँचा है। (पैरा 8.4)
- अभियोजन पक्ष अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या के पीछे के उद्देश्य (**motive**) को साबित करने में असफल रहा। (पैरा 8.5)
- न्यायालय ने धारा 313 के तहत अभियुक्तों के समक्ष आपत्तिजनक परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं कीं, जिसके कारण अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को पूर्वाग्रह पहुँचा। (पैरा 8.12)

अपील स्वीकृत की जाती है। (पैरा 10)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. श्री अंशुमान

मौखिक निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथि - 08-01-2025

ये दोनों अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत की गयी हैं जो दिनांक 13.12.2017 के उभयनिष्ठ / समान दोषसिद्धि के निर्णय तथा 03.01.2018 के दंडादेश से संबंधित हैं, जिन्हे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, सहरसा द्वारा पारित किया गया है। सत्र विचारण सं. 247/2015 में, जो 2015 के सोनबरसा राज थाना कांड सं. 52 (जी. आर. G.R. सं. 940/2015) से उद्भूत है, जिसमें दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता (भा.द.वि.) की धारा 302,120 (बी)/34 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी पाया गया है और उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही प्रत्येक को रुपए 5000 के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें छह महीने के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास से गुजरना होगा।

2. चूंकि ये दोनों अपीलें उभयनिष्ठ / समान निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अनुरोध किया कि दोनों अपीलों की

सुनवाई एक साथ की जाए क्योंकि इन दोनों अपीलों में साक्ष्य समान हैं और तदनुसार हमने अंतिम निपटान के लिए दोनों अपीलों को एक साथ सुना ।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से श्री अमरनाथ सिंह, विद्वान अधिवक्ता, जिन्हे श्री कमल किशोर सिंह और श्री अनिल कुमार, अधिवक्ताद्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया, और श्री अजय मिश्रा, सहायक लोक अभियोजक, आपराधिक अपील (खंडपीठ) सं. 1085 / 2018 में प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश हुए और श्री सुजीत कुमार सिंह, को प्रतिवादी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान सहायक लोक अभियोजक,को आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 90/ 2018 में सुना गया ।

4. वर्तमान अपील दायर करने के लिए अग्रणी तथ्य इस प्रकार हैं:

4.1. नवीन कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने सोनवर्षा राज पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक लिखित शिकायत दिया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से कहा है कि 18.04.2015 (शनिवार) को लगभग 7:00 बजे अपराह्न, जब वे अपने बड़े भाई मणि प्रसाद सिंह के ईंट भट्टे, मनोरी के पास पहुंचे, तो उन्होंने ईंट भट्टे के पास अपने भाई को चिल्लाते हुए सुना।जब वह भागते हुए अपने पास पहुंचा तो उसने देखा कि तीन-चार लोग उसे मारने के लिए उस पर बेरहमी से हमला कर रहे थे, जिसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दौलत सिंह, अरविंद सिंह, अजय सिंह, उदय सिंह और अमर सिंह घटना स्थल पर आए और उसे बचाने के लिए उसके (मृतक) पास गए। उन्होंने देखा कि सिराजुल मियां, पुरुनजीत बर्मन और पवन यादव और तीन-चार अज्ञात व्यक्ति, जो चाकू, दाबिया और अन्य धारदार हथियारों से लैस थे, उसे मार रहे थे। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। इसके बाद, जब उन्होंने उसके बड़े भाई को उठाया, तो वह खून से लथपथ हो गया था और बेहोश हो गया था । उन्होंने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

4.2. उपरोक्त लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद, औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) पूर्वाह्न लगभग 7:30 बजे 19.04.2015 को दर्ज की गई। एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद, अनुसंधानकर्ता (आई. ओ.) ने अनुसंधान किया और अनुसंधान के दौरान, अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्य एकत्रित किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद, उन्होंने अपीलकर्ताओं-अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

4.3. चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए संबंधित मजिस्ट्रेट ने दिनांक 09.09.2015 को संहिता की धारा 209 के तहत मामले को संबंधित सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

4.4. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों का परीक्षण किया और दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए। इसके बाद, द प्र स की धारा 313 के तहत अभियुक्त-अपीलार्थियों का बयान दर्ज किया गया।

4.5. मुकदमे के विचारण समापन के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित दोषसिद्धि निर्णय और सजा का आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ दोषियों ने अलग-अलग अपील दायर किया है।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से यह तर्क देते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि सूचना देने वाले के मामले के अनुसार, घटना लगभग 7:00 बजे शाम दिनांक 18.04.2015 की है पर जिसके लिए लिखित शिकायत तीन घंटे बाद दी गई थी, हालांकि पुलिस स्टेशन घटनास्थल से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और आगे यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि लिखित शिकायत में ही, सूचक ने शुरू में कहा है कि उसने तीन-चार व्यक्तियों को अपने भाई पर हमला करते हुए देखा। हालांकि, लिखित शिकायत में सूचक ने बताया है कि सिराजुल मियां के साथ वर्तमान दोनो अपीलार्थी, तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों की मदद से, चाकू, दाबिया और धारदार हथियारों से वार कर रहे थे और उसके बाद आरोपी घटना स्थल से भाग गए। इस

स्थिति में, विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान को संदर्भित किया है, जिसमें सूचक, जो (अभियोजन साक्षी)10 है, भी शामिल है। यह तर्क दिया जाता है कि सूचक, (अभियोजन साक्षी)10 ने अपने मुख्य परीक्षण में गवाही दी है कि केवल दो व्यक्ति थे जो उसके भाई को घातक हथियारों से मार रहे थे, यानी एक सिराजुल मियां और अपीलकर्ता पुशनजीत बर्मन। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सूचक, (अभियोजन साक्षी)10 ने प्रति परीक्षण के दौरान विशेष रूप से कहा है कि अपीलकर्ता-आरोपी पवन यादव घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, जिसके बावजूद विचरण न्यायालय ने आरोपी पवन यादव को दोषी ठहराया है।

5.1. इसके बाद अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि (अभियोजन साक्षी)3, (अभियोजन साक्षी)4 और (अभियोजन साक्षी) 7 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और वे पक्षद्रोही हो गए हैं, जबकि (अभियोजन साक्षी) 1,2,5 और 6 सुनी-सुनाई / अनुश्रुति साक्ष्य की गवाही हैं। इसलिए, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला अभियोजन साक्षी 9 और अभियोजन साक्षी 10 के बयान पर आधारित है। हालाँकि, उपरोक्त दोनों गवाहों ने विशेष रूप से जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि पवन यादव घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था, जिसके बावजूद उसे विचरण न्यायालय ने दोषी ठहराया है।

5. 2. इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्षी 9 और अभियोजन साक्षी 10 सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बहुत विरोधाभास और विसंगतियां हैं, जो मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और इसलिए, उनके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह विशेष रूप से इंगित किया गया है कि सूचना देने वाले अभियोजन साक्षी 10 ने अपनी जिरह/प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 5 में स्वीकार किया है कि वह 10-15 मिनटों के बाद घटना स्थल पर पहुंचा था। इसलिए

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क भी दिया कि अभियोजन साक्षी 10, सूचना देने वाला भी एक चश्मदीद गवाह नहीं है।

5.3. इस स्थिति में, विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपीलार्थियों को दोषी ठहराते समय विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तर्क को संदर्भित किया। यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अनुसंधानकर्ता का परीक्षण नहीं किया गया है और अनुसंधानकर्ता का परीक्षण होने के कारण बचाव पक्ष के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। यह तर्क दिया जाता है कि विचारण न्यायालय ने पाया है कि अपीलकर्ता पुशनजीत बर्मन के साथ-साथ फरार आरोपी सिराजुल मियां ने अनुसंधान एजेंसी/संस्था के सामने स्वेच्छा से हथियार पेश किए हैं और अनुसंधानकर्ता के सामने अपना अपराध स्वीकार किया है। हालाँकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि संबंधित अभियुक्तों अनुसंधानकर्ता के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया या उन्होंने अनुसंधानकर्ता के सामने हथियार पेश किए हैं। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि तथाकथित हथियारों को भी मुकदमे के विचारण के दौरान अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

5.4. इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और वास्तव में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों की ओर से कथित अपराध करने के उद्देश्य को इंगित करने में भी विफल रहा है। इस चरण में, विद्वान अधिवक्ता ने संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्त अपीलार्थियों के बयान को संदर्भित किया है और उसके बाद तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय अभियुक्त के सामने सभी आपत्तिजनक सबूत (अभियोग लगाने वाले साक्ष्य) प्रस्तुत करने में विफल रही है। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय गंभीर त्रुटियों की है। इसलिए, विवादित निर्णय और आदेश को रद्द और दरकिनार कर दिया जाए और इन दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाए।

6. दूसरी ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने दोनों अपीलों का जोरदार विरोध किया। विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नगत घटना के चश्मदीद गवाह / प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। सूचक, अभियोजन साक्षी 10, के साथ-साथ अभियोजन साक्षी 9 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। और विशेष रूप से वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में अदालत के समक्ष गवाही दी है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अभियोजन साक्षी 8 ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और मृतक के शरीर पर नौ से अधिक चोटें पाई गई हैं। इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य चश्मदीद गवाहों के कथन का समर्थन करते हैं। इसलिए, विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और इसलिए, विचरण न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई त्रुटियां नहीं की है। इसलिए विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि इन दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और विचरण न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य को सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। हमने पूरे साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया। रिकॉर्ड/अभिलेख से यह पता चलता है कि, सूचना देने वाले- अभियोजन साक्षी 10 द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट/शिकायत के अनुसार, घटना शाम के लगभग 7:00 बजे हुई दिनांक 18.04.2015, जिसके लिए शाम के लगभग 10:00 बजे लिखित शिकायत दी गई थी, जो सुबह 7:30 बजे दिनांक 19.04.2015 पर पंजीकृत किया गया था। लिखित शिकायत में सूचक का विशिष्ट रूप से यह मामला है कि उसने अपने भाई को चिल्लाते हुए सुना और उक्त दिशा की ओर भागा और उस समय उसने देखा कि तीन-चार व्यक्ति उसके भाई को हथियारों से पीट रहे थे। इसलिए वह चिल्लाया और उसकी चिल्लाहट सुनकर, लिखित रिपोर्ट

में नामित पांच लोग घटना स्थल पर पहुंचे और उस समय उन्होंने देखा कि एक सिराजुल मियां, पुशनजीत बर्मन और पवन यादव, चाकू, दाबिया जैसे घातक हथियारों से लैस तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों की मदद से सूचक के भाई को पीट रहे थे। इसके बाद सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। इस प्रकार, उपरोक्त लिखित शिकायत से यह कहा जा सकता है कि शुरू में सूचक ने कहा था कि तीन-चार लोग उसके भाई को धारदार हथियारों से पीट रहे थे। हालाँकि, इसके तुरंत बाद, उन्होंने तीन व्यक्तियों का नाम लिया और आरोप लगाया कि वर्तमान अपीलकर्ताओं सहित तीन नामित व्यक्ति और तीन-चार अज्ञात व्यक्ति उनके भाई को पीट रहे थे। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह और पता चलेगा कि हालांकि सूचक ने अरविंद कुमार सिंह का नाम लिया है जो घटना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन उक्त गवाह अभियोजन साक्षी 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने अपने भाई को मृत पाया। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि अभियोजन साक्षी 1 एक चश्मदीद गवाह नहीं है और बाद में वह घटना स्थल पर पहुंचा।

7.1. अभियोजन साक्षी 2, दौलत कुमार सिंह ने हालांकि पैराग्राफ 1 में अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना के समय मृतक की पत्नी ने उन्हें मोबाइल फोन पर कॉल किया और बताया कि उसके बड़े भाई (मृतक) का पवन यादव के साथ विवाद था और हालांकि वह इस समय कभी ईट भट्टे पर नहीं जाता है, वह वहाँ गया है, कृपया जाकर पता करें, वह तुरंत एक वाहन से ईट भट्टे पर गया, लेकिन कार्यालय में कोई नहीं था। वाहन खड़ा करने के बाद, जब वह आगे बढ़े, तो उन्होंने कुछ हंगामे की आवाज सुनी और जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने मणि बाबू का शव वहां पड़ा पाया, जिसमें कटे हुए घाव थे और उसमें से खून बह रहा था। वहाँ तीन-चार व्यक्ति अरविंद सिंह, नवीन सिंह उदय सिंह और चार-पाँच मजदूर भी वहाँ पहुँचे। तब नवीन सिंह (सूचक) ने बताया कि पुशनजीत बर्मन, पवन यादव और मो० सिराजुल ने उसके भाई को मार डाला और भाग गए। वह कुछ समय तक वहाँ रहे और फिर अपने घर लौट आए। जब वह घर पहुंचा तो उसे पता चला कि घटना

स्थल के पास पुलिस ने पवन यादव को पकड़ लिया है। उक्त गवाह ने पैराग्राफ 5 में जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसे मणि सिंह का शव मिला। उसने आगे जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि पुलिस ने 5-6 दिनों के बाद उसका बयान दर्ज किया है। इस स्थिति में यह देखना भी प्रासंगिक है कि अभियोजन साक्षी 2 ने पैराग्राफ 15 में विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने किसी को भी मणि सिंह पर हमला करते नहीं देखा था। इसके अलावा, जिरह/ प्रतिपरिक्षण के पैराग्राफ 17 में, उन्होंने एक बार फिर स्वीकार किया था कि घटना के बाद वह घटना स्थल पर पहुंचे थे। जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने मणि सिंह को मृत पाया। इस प्रकार, हमारा विचार है कि अभियोजन साक्षी 2 उक्त घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

7.2. अभियोजन साक्षी 3 और अभियोजन साक्षी 7 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और वे मुकर गए हैं।

7.3. अभियोजन साक्षी 4 ने पैराग्राफ 2 में स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है और उक्त गवाह ने जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए हैं।

7.4. अभियोजन साक्षी 5 और अभियोजन साक्षी 6 ने यह भी बयान दिया है कि उन्होंने इस प्रश्नगत घटना को नहीं देखा है और अभियोजन साक्षी 6 ने विशेष रूप से कहा है कि वह उक्त स्थान पर मौजूद नहीं थे। उन्हें घटना के बारे में दो-तीन दिन बाद पता चला। इस प्रकार, उपरोक्त गवाह सुनी सुनाई गवाही/ अनुश्रुति साक्ष्य की गवाही हैं।

7.5. अभियोजन साक्षी 8, डॉ. अखिलेश्वर प्रसाद गवाह हैं जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया है। उक्त गवाह ने अदालत के समक्ष विशेष रूप से कहा है कि उसने निम्नलिखित मृत्युपूर्व (**Ante Mortem**) चोटों को पाया है:

“(ए) एक तेज धार वाली कटने की चोट, दाहिने इलियाक फोसा में विसरा तक (कूल्हे की हड्डी की आंतरिक सतह) लगभग 4 'x24' x4 'x4"x2.4"x4" आकार की

(बी) दूसरी तेज धार वाली कटने की चोट, दाहिने फ्लेंक (पक्ष) में आंतों तक गहरी लगभग 1/4' x4 'x4" आकार की

(सी) तीसरी तेज धार वाली कटने की चोट दाहिने हाइपो कॉट्रियम, में पेट की गुहा तक लगभग 1 "x 1/2" x आकार का

(डी) चौथी तेज धार वाली कटने की चोट दाहिने कॉस्टल मार्जिन के ऊपर छाती की गुहा की गहराई में लगभग 1 "x 1/2" x आकार का ,

(ई) पांचवीं तेज धार वाली कटने की चोट दाहिने निप्पल के नीचे वक्ष गुहा तक लगभग 1 "x 1/2" x आकार का ,

(एफ) छठी तेज धार वाली कटने की चोट दाहिने मध्य अक्षिका (कांख) पर लगभग 2 "x4" x1/6 " आकार का,

(जी) सातवीं तेज धार वाली कटने की चोट उमिलिकस (नाभि) के बाईं ओर लगभग 1 "x 1/2" x1/6 " आकार का

(एच) आठवीं तेज धार वाली कटने की चोट दाहिने निप्पल के ऊपर लगभग 2 1/2 "से" ऊपर छाती की गुहा तक की गहराई 1"x1/2" आकार की

(आइ) नौवीं तेज धार वाली चोट दाहिने कमर की हड्डी के निचले छोर तक लगभग 3 "x1" x आकार का,

(जे) दसवां तेज-कटा घाव दाहिने ऊपरी अंग के ऊपरी सिरे की हड्डी के फ्रैक्चर के साथ 3 "x1" x आकार का,

(के) ग्यारहवां तेज-कटा घाव दाहिने ऊपरी नितंब पर श्रोणि गुहा तक लगभग 3 "x1" x आकार का,

(एल) बारहवां तेज-कटा घाव। दाहिने मध्य अग्र भुजा में लगभग 1 "x1" x मांसपेशियों तक गहरी आकृति का

(एम) तेरहवीं तेज धार वाली कटने की चोट कलाई के जोड़ के ठीक ऊपर बाईं अग्र भुजा पर लगभग 1/2 "x2" x आकार की मांसपेशियों तक गहरी

(एन) चौदहवीं तेज धार वाली कटने की चोट दाहिने घुटने के जोड़ के नीचे लगभग 1 "x 1/2" x आकार की मांसपेशियों तक गहरी.

7.6. अभियोजन साक्षी. 8 को आंतरिक जाँच के दौरान निम्नलिखित चोटें

मिलीं:

(क) खोपड़ी को खोलने पर मस्तिष्क संयुग्मित/रक्त से भरा हुआ (**congested**) पाया गया।

(बी) छाती खोलने पर, ऊपरी लोब का दाहिना हिस्सा, मध्य लोब और फेफड़े का निचला हिस्सा (दाहिना हिस्सा) और छिद्रित और फुफ्फुसीय गुहा, सभी खून से भरे हुए थे। हृदय में कोई दोष नहीं पाया गया

(ग) पेट खोलने पर, यह पाया गया कि यकृत (लिवर) कटा हुआ था और पेरिटोरियल गुहा (पेटीय गुहा) रक्त से भरी हुई थी और दाहिने इलियाकफोसा का विसरा की आंतें भी कटी हुई थीं

मृत्यु का कारण उपरोक्त उल्लिखित चोटों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अंगों यकृत, फेफड़ों और विसरा में चोटों के कारण रक्तसावी सदमा था। जो उपरोक्त उल्लिखित चोटों के परिणामस्वरूप हुआ।

7.7. अभियोजन साक्षी 9, उदय सिंह को अभियोजन पक्ष द्वारा एक चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया है। उक्त गवाह ने पैराग्राफ 1 और 2 में अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना शाम लगभग 7:00 बजे हुई दिनांक 18.04.2015 पर जब वे मणि सिंह (मृतक) के घर पर मौजूद थे। मृतक की पत्नी ने कहा कि मणि सिंह ईट भट्टे पर गया है। उस समय नवीन सिंह वहाँ पहुँचे। उसने कहा कि ईट-भट्टे में कुछ हुआ है, कृपया जाकर जांच करें। अभियोजन साक्षी 9 नवीन के साथ ईट भट्टे पर गया और मृतक की खोज की। फिर उन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। नवीन और अभियोजन साक्षी 9 वहाँ पहुँचे जब अभियोजन साक्षी 9 ने देखा कि तीन-चार लोग चाकू दाबिया और छुरा/ खंजर मणि सिंह को मार रहे थे। उन्हें देखते ही वे भागने लगे। उसने केवल दो उपद्रवियों की पहचान की मो० सिराजुल और पुशनजीत बर्मन, बाकी किसी अन्य की नहीं। हुल्ला पर दौलत सिंह, अरविंद सिंह आदि आए। जब तक उन्होंने उसे (मृत) उठाया, तब तक वह मर चुका था। हालांकि, पैराग्राफ 5 में जिरह/प्रतिपरीक्षण के दौरान, अभियोजन साक्षी 9 ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी अपीलार्थी पवन यादव मौजूद नहीं था और उसने मणि बाबू की हत्या नहीं की है।

7.8. अभियोजन साक्षी 10 नवीन कुमार सिंह सूचक है, जो मृतक का भाई है। उक्त गवाह ने पैराग्राफ 1, 2 और 3 में अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 18.04.2015 पर शाम लगभग 7 :00 बजे हुई थी। जब वह बाजार से ईट भट्टे पर गया, तो उसने अपने भाई मणि सिंह की उसे बचाने के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसने दो लोगों को उसकी हत्या करते देखा। वे सिराजुल मियां और पुशनजीत बर्मन थे, जो चाकू, दाबिया और खंजर लिए हुए थे। उन्होंने उसके भाई के पेट, छाती और जांघों पर चाकू से वार किया। इसके बाद अभियोजन साक्षी 10 ने शोर मचाया जिस पर दौलत सिंह, अरविंद सिंह, उदय सिंह और अजय सिंह आदि वहाँ आ गए, जिसके बाद दोनों बदमाश भाग गए। उस समय मृतक जीवित था, जबकि सोनवर्षा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो

गई। इसके बाद, अभियोजन साक्षी 10 अपने भाई के शव के साथ पुलिस स्टेशन गया और लिखित आवेदन दिया।

हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन साक्षी 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 5 में स्वीकार किया है कि वह 10-15 मिनटों के बाद घटना का स्थान पर पहुंचा। इसके अलावा, उन्होंने अपनी जिरह/ प्रतिपरीक्षणके पैराग्राफ 7 में स्वीकार किया है कि आरोपी अपीलार्थी पवन यादव घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने उन्हें नहीं देखा था।

8. अभियोजन पक्षद्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी 9 और 10 चश्मदीद गवाहों के रूप में को पेश किया है।, हालाँकि, अभियोजन साक्षी 10- सूचक की प्रतिपरीक्षा से, यह स्पष्ट है कि वह 10-15 मिनटों के बाद घटना स्थल पर पहुंचा और इसलिए, उसे चश्मदीद गवाह नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, ये दोनों गवाह, यानी अभियोजन साक्षी 9 और 10 ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि पवन यादव घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने मणि सिंह की हत्या नहीं की थी।

8.1. इस स्थिति में पर यह देखना उचित है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अनुसंधान करने वाले अनुसंधान कर्ता का परीक्षण करने में विफल रहा है। यह अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया विशिष्ट तर्क है कि अनुसंधान कर्ता का परीक्षण न होने के कारण, बचाव पक्ष के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। उपरोक्त प्रस्तुति को समझने और उसका मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, हमने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तर्क का अध्ययन/ अवलोकन किया। विचारण न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन (IX), (X), (A), {जो B से सांकेतिक है} (B) और (C) से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से सिराजुल मियां के साथ-साथ पुशनजीत बर्मन (इसमें अपीलकर्ता) द्वारा अनुसंधानकर्ता के समक्ष की गई

स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया है। और उपरोक्त दो अभियुक्तों द्वारा हथियार, यानी चाकू और दरांती के प्रस्तुति पर भी भरोसा किया। यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त हथियारों को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था और न ही अनुसंधानकर्ता जिनके समक्ष आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति की गई थी, की अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण की गई थी। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह कहा जा सकता है कि अनुसंधानकर्ता की परीक्षण नहीं किए जाने के कारण, बचाव पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। विचारण न्यायालय ने किस आधार पर हथियार पेश करने के साथ-साथ अनुसंधानकर्ता के समक्ष आरोपी के इकबालिया/ स्वीकारोक्ति बयान के संबंध में अवलोकन किया है, अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से स्पष्ट नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने केस डायरी का संदर्भ लिया है।

8.2. इस स्थिति में, हम इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे **कमलाकर पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य**, जो (2013) 6 एससीसी 417 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"18. उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन साक्षी 1 की गवाही की मूल्यांकन की जानी चाहिए। उन्होंने FIR . में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है लेकिन यह बहाना बनाया कि यह एक खाली कागज पर लिया गया था। यह बात अनुसंधानकर्ता द्वारा स्पष्ट की जा सकती थी, लेकिन किसी कारण से, अभियोजन पक्ष द्वारा अनुसंधानकर्ता का परीक्षण नहीं किया गया। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि अनुसंधानकर्ता का परीक्षण न कर पाना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है। बिहारी प्रसाद बनाम बिहार राज्य [(1996) 2 एस. सी. सी. 317: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 271], में इस न्यायालय ने

कहा है कि अनुसंधानकर्ता का परीक्षण न कर पाना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है, विशेष रूप से, जब आरोपी को कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है। ऐसे ही **बहादुर नाइक बनाम बिहार राज्य [(2000) 9 एस. सी. सी. 153:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1186]**, में यह राय दी गई है कि जब कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने नहीं लाया गया है, तो अभियोजन पक्ष के लिए एक गवाह के रूप में अनुसंधानकर्ता का परीक्षण न करना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी परिस्थितियों में, आरोपी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो विचारण न्यायालय के न्यायाधीश ने और न ही उच्च न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता के परीक्षण न किये जाने के मुद्दे पर गौर किया है। अभिलेख पर लाई गई पूरी सामग्री के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि इस विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वर्तमान मामला ऐसा है जहाँ हम ऐसा सोचने के लिए इच्छुक हैं, विशेष रूप से जब सूचक ने कहा है कि हस्ताक्षर तब लिए गए थे जब वह नशे की हालत में था, पंच गवाह मुकर/ पक्षद्रोही हो गया था और अदालत में पेश किए गए कुछ सबूत संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में जगह नहीं पाते थे। इस प्रकार, यह न्यायालय **अरविंद सिंह बनाम बिहार राज्य [(2001) 6 एस. सी. सी. 407:2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1148]**, **रतनलाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [(2007) 13 एस. सी. सी. 18:(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 349]** और **रविश्वर मांझी बनाम झारखंड राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 561:(2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 50]** ने कुछ परिस्थितियों की व्याख्या की है जहाँ अनुसंधान कर्ता का परीक्षण महत्वपूर्ण हो जाती है। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि

वर्तमान मामला वह है जिसमें अनुसंधान कर्ता का परीक्षण की जानी चाहिए थी और अनुसंधानकर्ता का परीक्षण न किया जाना अभियोजन पक्ष के मामले में एक कमी पैदा करती है।

8.3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान कर्ता का परीक्षण नहीं होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है जब अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है। हालांकि, अगर अनुसंधान कर्ता का परीक्षण नहीं होने के कारण बचाव पक्ष को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है, तो यह घातक हो जाता है।

8.4. उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यदि ऊपर चर्चा किए गए वर्तमान मामले के साक्ष्य और तथ्यों की जांच की जाती है, तो हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में, अनुसंधान कर्ता का परीक्षण न होने के कारण, से बचाव पक्ष पर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

8.5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह भी पता चलेगा कि अभियोजन पक्ष भी मृतक को मारने के आरोपी के उद्देश्य को भी साबित करने में विफल रहा है।

8.6. जैसा कि ऊपर देखा गया है, यहां तक कि अभियोजन पक्ष के गवाहों, यानी अभियोजन साक्षी 9 और अभियोजन साक्षी 10 दोनों ने जिरह/ प्रति परीक्षण के दौरान विशेष रूप से स्वीकार किया है कि पवन यादव मौजूद नहीं था और उसने मणि सिंह की हत्या नहीं की है। इसके अलावा, तथाकथित इकबालिया बयान आरोपी सिराजुल मियां और पुशनजीत बर्मन ने दिया था न कि पवन यादव ने। यहां तक कि हथियार भी, विचारण न्यायालय के अवलोकन के अनुसार, दो अन्य अभियुक्तों द्वारा पेश किए गए थे न कि पवन यादव द्वारा, जिसके बावजूद पवन यादव को विचारण न्यायालय ने दोषी ठहराया है।

8.7. हम संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपीलार्थियों के के बयान को भी देख चुके हैं। विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्त व्यक्तियों से निम्नलिखित प्रश्न किया है:

“प्रश्न: - क्या आपलोग ने गवाहों का बयान सुना हैं?

उत्तर:(हाँ)

प्रश्न:- गवाहों का कहना है कि कि आपलोगों ने दिनांक 18.04.2015 (शनिवार) को संध्या 7:00 बजे गणौरी ईट भट्ठा, चमनी पर मनी प्रसाद सिंह को छुरादबिया से हमला कर हत्या कर दी। क्या यह सही है?

उत्तर -गलत है

प्रश्न:- सफाई में क्या कहना है?

उत्तर- मैं निर्दोष हूँ।

8.8. उपरोक्त से, यह कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के दावरा प्रस्तुत सभी अभियोगात्मक सबूतों को आरोपी के सामने रखने में विफल रही है और उसी के कारण, आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह हुआ है।

8.9 इस स्थिति में, हम इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय राज कुमार @सुमन बनाम। राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में दिनांक 11.05.2023 को क्रिमिनल अपील संख्या 1471/2023 (SLP) (CRI) No.11256/2018), में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 13 से 16 में निम्नलिखित अवलोकन किए हैं:

“13. फिर हम इस न्यायालय द्वारा दिये गए के निर्णय एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) पर आते हैं जिसमें पैराग्राफ 22 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“22. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 के अंतर्गत अदालत का यह कर्तव्य है कि किसी भी जांच या विचारण में आरोपी से ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जो उसके खिलाफ साक्ष्य में प्रस्तुत किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में उसकी सहायता कर सकें। यह इस प्रकार है। इससे आवश्यक यह है कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से उसके सामने रखा जाना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता के बराबर है जो विचारण को अमान्य करती है यदि यह दिखाया जाता है कि इसने आरोपी को पूर्वाग्रहित किया है। यदि यह अनियमितता, वास्तव में, न्याय की विफलता का कारण नहीं है, यह संहिता की धारा 537 के तहत ठीक किया जा सकता है।”

(प्रमुखता से जोर दिया गया)

14. इसके पश्चात हम **समसुल हक** के मामले में एक दिये गए निर्णय पर आते हैं जिस पर अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोर दिया था। पैराग्राफ 21 से 23 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“21. सबसे महत्वपूर्ण पहलू, हमारे विचार में, जो अभियोजन पक्ष के मामले में ताबूत में कील ठोकता है, वह है कि किस तरह से अदालत ने मामले को अभियुक्त 9 के सामने रखा, और किस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज बयान दर्ज कराया गया। संक्षेप में कहें तो, यह मात्र औपचारिकता थी।

22. यह कहना कोई नई बात नहीं है और, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए,

अभियुक्त के सामने दोषारोपण करने वाली सामग्री रखी जानी चाहिए ताकि अभियुक्त को अपना बचाव करने का उचित मौका मिल सके। यह ऑडी अल्टराम पार्टम के सिद्धांतों (दूसरी पक्ष को सुनने का सिद्धांत) की स्वीकृति है। इसके अतिरिक्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित निर्णयों के अलावा, हम उपयोगी रूप से असरफ अली बनाम असम राज्य [(2008) 16 SCC 328 : (2010) 4 SCC (Cri) 278].में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नलिखित अनुच्छेदों में हैं: (एससीसी पृष्ठ 334, पैरा 21-22)

“21. संहिता की धारा 313 अदालत पर यह कर्तव्य डालती है किसी भी पूछताछ या विचारण के दौरान अभियुक्त से ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जो उसे उसके खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य में से किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करें। इसके साथ यह आवश्यक निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से उसके सामने रखा जाना आवश्यक है और ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता के समान है जो विचारण को दूषित/ अमान्य करती है, यदि यह दिखाया जाता है कि इसने आरोपी को पूर्वाग्रहित किया है।

22. संहिता की धारा 313 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यदि साक्ष्य में अभियुक्त के खिलाफ एक बिंदु महत्वपूर्ण है, और दोषसिद्धि उसी पर आधारित होने का इरादा है, तो यह सही और उचित है कि अभियुक्त से मामले के

बारे में पूछताछ की जानी चाहिए और उसे समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए। जहां अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में एक अभियोगात्मक सामग्री पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा गया है, यह विचारण को अमान्य कर देगा। बेशक, ये सभी इस बात पर निर्भर हैं कि क्या वे न्याय की विफलता या पूर्वाग्रह का कारण बने हैं। इस न्यायालय ने एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया। [एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1976) 2 एससीसी 819:1976 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 324] दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 (संहिता की धारा 313 के अनुरूप) पर विचार करते हुए यह निर्धारित किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसके प्रासंगिक पहलुओं में दोषारोपण सामग्री का गैर-संकेत (न दिखाया जाना) अभियोजन मामले की कमजोरियों को और बढ़ाता है। धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करना एक निरर्थक प्रक्रिया नहीं है।

23. उपरोक्त टिप्पणियां करते समय, इस न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के अपने पहले के फैसले **शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य** (शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 793 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1033], का भी संदर्भ लिया जिसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अभियुक्त के खिलाफ उपस्थित होने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर प्रश्न रखने में चूक/ अनदेखी के परिणामों पर विचार किया, और यह आवश्यकता व्यक्त की गई कि अभियुक्त का ध्यान

प्रत्येक दोषारोपण सामग्री की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि वह इसे समझाने में सक्षम हो सके। आम तौर पर, ऐसी स्थिति में, ऐसी सामग्री जो अभियुक्त के सामने नहीं रखी जाती है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत एक औपचारिक परीक्षण हुआ हो वहां मामला विचारण न्यायालय पुनः विचारण के लिए भेजा जा सकता है, उस स्थिति से फिर से विचारण करने के निर्देश के साथ जिस पर अभियोजन बंद किया गया था [शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 793:1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1033].

(प्रमुखता से जोर दिया गया)

15. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता इस मामले में इस अदालत के एक अन्य फैसले पर भी निर्भरता जताई। **वाहिता बनाम तमिलनाडु राज्य।** ये मामला सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ करते समय की गई चूक के परिणामों से संबन्धित नहीं है अपितु यह केवल एक आकस्मिकता से संबंधित है जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को चुनौती नहीं दी जाती है। अब हम **सत्यवीर सिंह** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर आते हैं, जिस पर प्रतिपक्षी के विद्वान वकील ने निर्भरता जताई। है इस निर्णय में कहा गया है कि अपील में पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का पालन न करने के आधार पर दोषसिद्धि की चुनौती पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि आरोपी यह

प्रदर्शित नहीं करता कि उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया है। यदि जल्द से जल्द कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो संबंधित अभियुक्त का अतिरिक्त बयान दर्ज करके दोष को ठीक किया जा सकता है। उक्त निर्णय का मुख्यसार यह है कि इतनी लंबी देरी यह तय करने में एक कारक हो सकती है कि परीक्षण दूषित है या नहीं। इसके अलावा, शिवाजी साहबराव बोबडे के मामले में वृहद पीठ का निर्णय बाध्यकारी है, जिसमें कहा गया है कि यदि आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, तो मुकदमा का विचारण दूषित हो जाएगा।

16. इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून को संक्षेप में निम्नानुसार इस प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) यह विचारण न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में उपस्थित होने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति को विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से और अलग से रखे। महत्वपूर्ण परिस्थिति का अर्थ है परिस्थिति या ऐसी सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के दोषसिद्धि की मांग कर रहा है;

(ii) धारा 313 के तहत अभियुक्त की जाँच का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके खिलाफ पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाना है।

(iii) न्यायालय को आम तौर पर उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों के से बचना चाहिए जो विशेष अभियुक्त के मामले पर विचार करते समय अभियुक्त से नहीं पूछा गया।

(iv) अभियुक्त के सामने महत्वपूर्ण परिस्थितियों को रखने में विफलता एक गंभीर अनियमितता है। यह मुकदमे को दूषित कर देगा यदि यह दिखाया जाता है कि उसने आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह कारीत किया है;

(v) यदि अभियुक्त के सामने महत्वपूर्ण परिस्थिति रखने में किसी भी अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता नहीं होती है, तो यह एक उपचार योग्य दोष बन जाता है। हालांकि, यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, एक विचारणीय तथ्य यह भी होगा घटना की तारीख से अब तक कितना समय व्यतीत हो चुका है।

(vi) यदि ऐसी अनियमितता ठीक की जा सकती है, तो अपीलीय न्यायालय भी अभियुक्त से उस भौतिक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर सवाल कर सकता है जो उसके सामने नहीं रखी गई थी ; और

(vii) और किसी (उपयुक्त) मामले में, मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत संबंधित आरोपी का पूरक बयान दर्ज करने के चरण से विचारण न्यायालय में भेजा जा सकता है।

(viii) इस प्रश्न का निर्णय करते समय कि क्या इस चूक के कारण अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, इस तरह के विवाद उठाने में देरी उन कई कारकों में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

8.10 इस स्थिति में, हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य (2020) 10 SCC 108 के मामला, में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ देना चाहेंगे में जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 7 और 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"7. सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत अभियुक्त की जाँच के एक अवलोकन मात्र से पता चलता है कि यह प्रकृति में बेहद अनौपचारिक और सतही प्रकृति की थी आ।अपीलार्थी से केवल तीन संक्षिप्त प्रश्न किए गए निम्नलिखित रूप में पूछे गए थे जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया:"

"प्रश्न 1.आपके खिलाफ एक गवाह है जिसके अनुसार जब सूचक वी. अंशुमाला टिग्गा स्कूल जा रही थी तो आप टोमरा नहर के पास छिपे हुए थे और सूचक को अलग-थलग पाए जाने के बाद आपने उसे चाकू की नोक पर निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया और उसके साथ बलात्कार किया।

प्रश्न 2.बलात्कार के बाद जब सूचक अपने माता-पिता को घटना के बारे में सूचित करने के लिए रोते हुए उसके घर भागी और जब सूचक के माता-पिता घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए आपके पास आए, तो आपने उनसे कहा कि "अगर मैंने बलात्कार किया है तो मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में रखूंगा"।

प्रश्न 3.आपके निर्देश पर, सूचक के माता-पिता ने सूचक का " लोटा -पानी" समारोह किया, जिसमें सूचना देने वाले के साथ-साथ आपके माता-पिता भी मौजूद थे, उक्त समारोह में

आपके माता-पिता ने सूचना देने वाले को एक साड़ी और एक ब्लाउज उपहार में दिया था और सूचना देने वाले के माता-पिता ने भी आपको कुछ कपड़े उपहार में दिए थे।”

8. यह अच्छी तरह से तय किया गया सिद्धांत है कि धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत किसी आरोपी के सामने नहीं रखी गई परिस्थितियों का उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है, और इसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। आपराधिक मुकदमे में, एक अभियुक्त के सामने रखे गए प्रश्नों का महत्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए बुनियादी है क्योंकि यह उसे न केवल अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उसके खिलाफ दोषपूर्ण परिस्थितियों की व्याख्या करने का भी अवसर प्रदान करता है। एक अभियुक्त द्वारा उठाया गया संभावित बचाव उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता के बिना आरोप का खंडन करने के लिए पर्याप्त है।

8.11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के आधार पे यह कहा जा सकता है कि यह विचारण न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से रखे। महत्वपूर्ण परिस्थिति का अर्थ है वह परिस्थिति या सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष अपनी दोषसिद्धि की मांग कर रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त के परीक्षण का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उनके खिलाफ पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। अभियुक्त के सामने महत्वपूर्ण परिस्थितियों को रखने में विफलता एक गंभीर अनियमितता के बराबर है और यह

विचारण को दूषित कर देगा यदि यह दिखाया जाता है कि उसने अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रहित किया है।

8.12. उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, एक बारपुनः, यदि संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित अभियुक्त के बयान की परीक्षण की जाती है, तो हमारा विचार है कि अदालत ने अभियुक्त के सामने दोषारोपण करने वाली परिस्थितियों को नहीं रखा है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताने तर्क दिया है।

9. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए औरवर्तमान मामले की परिस्थितियों और यहाँ ऊपर की गई चर्चा में, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, जिसके बावजूद विचारण न्यायालय ने विवादित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा का आदेश पारित किया है। इसलिए, उन्हें रद्द करने और अमान्य घोषित रखने की आवश्यकता है।

10. तदनुसार, ये दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

11. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, सहर्सा द्वारा प्रदत्त दोषसिद्धि का विवादित निर्णय दिनांक 13.12.2017 और सजा का आदेश दिनांक 03.01.2018। जो सत्र परीक्षण सं. 247/2015, जो 2015 का सोनबरसा राज थाना मामला सं. 52 (2015 का जी. आर. सं. 940) से संबन्धित है, को रद्द कर दिया जाता है और अमान्य घोषित किया जाता है।

12. आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 1085/2018, के अपीलकर्ता अर्थात्, पुशनजीत बर्मन @प्रसेनजीत बर्मन @प्रसेनजीत वर्मा, जो हिरासत में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत जेल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

13. आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 90/2018 के अपीलकर्ता अर्थात् पवन यादव, जमानत पर है। उसे अपने जमानत- बंध की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(डॉ. अंशुमान, न्यायमूर्ति)

पवन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।